अमीरे अहले सुन्नत دامت برکاتہم العالیہ की किताब "कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब" से लिये गए मवाद की दूसरी क़िस्त

Aham Suwalat W Jawabaat (Hindi)

अहम सुवालात व जवाबात

कुल सफ़्हात 31

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले । (اَلْمُستطرَف ج١ ص٤٠ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

अहम सुवालात व जवाबात

येह रिसाला **(अहम सुवालात व जवाबात)**

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ईमेइल या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की
मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 98987 32611 • Email : hindibook@dawateislamihind.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

येह मज़्मून "कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब" के सफ़्हा 39 ता 63 से लिया गया है।

अहम सुवालात व जवाबात

दुआए अ़त्तार

या इलाही ! जो कोई "**अहम सुवालात व जवाबात**" के 28 सफ़्हात पढ़ या सुन ले उस के ईमान की हि़फ़ाज़त फ़रमा।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरकारे नामदार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने नमाज़ के बा'द ह़म्दो सना और **दुरूद शरीफ़** पढ़ने वाले से फ़रमाया : "दुआ मांग, क़बूल की जाएगी, सुवाल कर, दिया जाएगा।"

(سُنَنُ النَّسائی ص ۲۲۰ حدیث ۲۲۰)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

बा'ज़ अहम इस्तिलाहात के बारे में सुवाल जवाब

ईमान की ता'रीफ़

सुवाल : ईमान की ता'रीफ़ बता दीजिये।

जवाब : ईमान लुग़त में **तस्दीक़ करने** (या'नी सच्चा मानने)

को कहते हैं। (تفسیر قُرطُبی ج١ ص١٤٧) **ईमान** का दूसरा लुग़वी मा'ना है **: अम्न देना**। चूंकि मोमिन अच्छे अ़क़ीदे इख़्तियार कर के अपने आप को दाइमी या'नी हमेशा वाले अ़ज़ाब से अम्न दे देता है इस लिये अच्छे अ़क़ीदों के इख़्तियार करने को **ईमान** कहते हैं। (तफ़्सीरे नईमी, जि. 1, स. 8) और इस्तिलाहे शर्अ़ में **ईमान** के मा'ना हैं : "सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करे जो **ज़रूरिय्याते दीन** से हैं।"

(माखूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, हिस्सा : 1, स. 92)

और आ'ला ह़ज़रत **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को हर बात में सच्चा जाने, हुज़ूर की ह़क़्क़ानिय्यत को सिदक़े दिल से मानना ईमान है जो इस का मुक़िर (या'नी इक़रार करने वाला) हो उसे मुसल्मान जानेंगे जब कि उस के किसी क़ौल या फ़े'ल या ह़ाल में **अल्लाह** व रसूल (عَزَّوَجَلَّ وصَلَّى اللهُ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم) का इन्कार या तक्ज़ीब (या'नी झुटलाना) या तौहीन न पाई जाए। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 29, स. 254)

कुफ़्र की ता'रीफ़

सुवाल : कुफ़्र के क्या मा'ना हैं ?

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : बरोज़े क़ियामत लोगों में से मेरे क़रीब तर वोह होगा जिस ने दुन्या में मुझ पर ज़ियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (ترمذی)

जवाब : कुफ़्र का लुग़वी मा'ना है : "किसी शै को छुपाना।" (اَلْمُفْرَدات ص ۷۱٤) और इस्तिलाह़ में किसी एक **ज़रूरते दीनी** के इन्कार को भी **कुफ़्र** कहते हैं अगर्चे बाक़ी तमाम **ज़रूरिय्याते दीन** की तस्दीक़ करता हो। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, हिस्सा : 1, स. 92) जैसे कोई शख़्स अगर तमाम **ज़रूरिय्याते दीन** को तस्लीम करता हो मगर **नमाज़** की फ़र्ज़िय्यत या **ख़त्मे नुबुव्वत** का मुन्किर हो वोह **काफ़िर** है कि **नमाज़** को फ़र्ज़ मानना और **सरकारे मदीना** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को आख़िरी नबी मानना दोनों बातें **ज़रूरिय्याते दीन** में से हैं।

ज़रूरिय्याते दीन की ता'रीफ़

सुवाल : ज़रूरिय्याते दीन किसे कहते हैं ?

जवाब : ज़रूरिय्याते दीन, इस्लाम के वोह अह़काम हैं, जिन को हर ख़ासो आ़म जानते हों, जैसे **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की वह़्दानिय्यत (या'नी उस का एक होना), अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की नुबुव्वत, नमाज़, रोज़े, ह़ज, जन्नत, दोज़ख़, क़ियामत में उठाया जाना, ह़िसाबो किताब लेना वग़ैरहा। मसलन येह अ़क़ीदा रखना (भी ज़रूरिय्याते दीन में से है) कि हुज़ूर रह़्मतुल्लिल

आ़लमीन صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم "ख़ातमुन्नबिय्यीन" हैं, **हुज़ूरे अकरम** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बा'द कोई नया नबी नहीं हो सकता। **अ़वाम** से मुराद वोह मुसल्मान हैं जो **उ़लमा** के त़ब्के़ में शुमार न किये जाते हों मगर **उ़लमा** की सोहबत में बैठने वाले हों और इ़ल्मी मसाइल का ज़ौक़ रखते हों। वोह लोग मुराद नहीं जो दूर दराज़ जंगलों पहाड़ों में रहने वाले हों जिन्हें सह़ीह़ **कलिमा** पढ़ना भी न आता हो कि ऐसे लोगों का **ज़रूरिय्याते दीन** से ना वाक़िफ़ होना इस दीनी ज़रूरी को ग़ैर ज़रूरी न कर देगा। अलबत्ता ऐसे लोगों के **मुसल्मान** होने के लिये येह बात ज़रूरी है कि **ज़रूरिय्याते दीन** के मुन्किर (या'नी इन्कार करने वाले) न हों और येह अ़क़ीदा रखते हों कि **इस्लाम** में जो कुछ है ह़क़ है। इन सब पर इज्मालन **ईमान** लाए हों। (बहारे शरीअ़त, हिस्सा : 1, स. 92, मुलख़्ख़सन)

ज़रूरिय्याते दीन की मज़ीद वज़ाह़त के लिये **नुज़्हतुल क़ारी शर्हे सह़ीहुल बुख़ारी** जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 294 से इक़्तिबास मुलाह़ज़ा हो, चुनान्चे शारेहे़ बुख़ारी ह़ज़रते अ़ल्लामा **मुफ़्ती मुह़म्मद शरीफ़ुल ह़क़** अमजदी عَلَیْہِ رَحمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : ईमान की

ता'रीफ़ में ज़रूरिय्याते दीन का (जो) लफ़्ज़ आया है, इस से मुराद वोह दीनी बातें हैं जिन का दीन से होना ऐसी क़त्ई यक़ीनी दलील से साबित हो जिस में ज़र्रा बराबर शुबा न हो और उन का दीनी बात होना हर आ़मो ख़ास को मा'लूम हो। **ख़वास** से मुराद उ़लमा हैं और **अ़वाम** से मुराद वोह लोग हैं जो आ़लिम नहीं मगर उ़लमा की सोहबत में रहते हों। इस बिना पर वोह दीनी बातें जिन का दीनी बात होना सब को मा'लूम है मगर उन का सुबूत क़त्ई नहीं तो वोह ज़रूरिय्याते दीन से नहीं मसलन **अ़ज़ाबे क़ब्र, आ'माल का वज़्न**। यूंही वोह बातें जिन का सुबूत **क़त्ई** है मगर उन का दीन से होना अ़वामो ख़वास सब को मा'लूम नहीं तो वोह भी **ज़रूरिय्याते दीन** से नहीं, जैसे सुल्बी बेटी(1) के साथ अगर पोती हो तो पोती को छटा हिस्सा मिलेगा।

(1) नुज़्हतुल क़ारी के नुस्ख़ों में इस जगह **"बेटी"** के बजाए **"बेटियों"** लिखा है जो किताबत की ग़लती मा'लूम होती है क्यूं कि हज़रते अ़ल्लामा इब्ने हुमाम عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَام "अल मुसायरह" सफ़हा 360 पर तहरीर फ़रमाते हैं : जिन का सुबूत **क़त्ई** है मगर वोह **ज़रूरिय्याते दीन** की हद को न पहुंचा हो जैसे (मीरास में) सुल्बी बेटी के साथ अगर पोती हो तो पोती को छटा हिस्सा मिलने का हुक्म इज्माए उम्मत से साबित है...... الخ (المسايرة ص ٣٦٠)

www.dawateislami.net

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है **अल्लाह** उस के लिये एक क़ीरात़ अज्र लिखता है और क़ीरात़ उहुद पहाड़ जितना है। (عبدالرزاق)

जिन दीनी बातों का सुबूत **क़त़ई** हो और वोह **ज़रूरिय्याते दीन** से न हों उन का मुन्किर (या'नी इन्कार करने वाला) अगर उस के सुबूत के **क़त़ई** होने को जानता हो तो **काफ़िर** है और अगर न जानता हो तो उसे बताया जाए, बताने पर अगर ह़क़ माने तो मुसल्मान और बताने के बा'द भी अगर इन्कार करे तो **काफ़िर**। (شامی ج۳ص۳۰۹)

वोह बातें जिन का दीन से होना सब को मा'लूम है मगर उन का सुबूत **क़त़ई** नहीं उन का मुन्किर **काफ़िर** नहीं अगर येह बातें **ज़रूरिय्याते मज़्हबे अहले सुन्नत से** हों तो (इन्कार करने वाला) गुमराह और अगर इस से भी न हो तो **ख़ात़ी** (या'नी ख़त़ाकार)।

ज़रूरिय्याते मज़्हबे अहले सुन्नत

मज़्हबे अहले सुन्नत की **ज़रूरिय्यात** का मत़लब येह होता है कि उस का मज़्हबे अहले सुन्नत से होना सब अ़वाम व ख़वासे अहले सुन्नत को मा'लूम हो। जैसे अ़ज़ाबे क़ब्र, आ'माल का वज़्न।

(नुज़्हतुल क़ारी शर्हे सह़ीहुल बुख़ारी, जि. 1, स. 294)

तौह़ीद की ता'रीफ़

सुवाल : तौह़ीद किसे कहते हैं ?

जवाब : **अल्लाह** तआ़ला को उस की ज़ातो सिफ़ात और अह़काम व अफ़्आ़ल में शरीक से पाक मानना तौह़ीद है।

शिर्क की ता'रीफ़

सुवाल : शिर्क के क्या मा'ना हैं ?

जवाब : शिर्क का मा'ना है : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद या मुस्तह़िक़े इ़बादत (किसी को इ़बादत के लाइक़) जानना या'नी उलूहिय्यत में दूसरे को शरीक करना और येह **कुफ़्र** की सब से बद तरीन क़िस्म है। इस के सिवा कोई बात कैसी ही शदीद कुफ़्र हो ह़क़ीक़तन **शिर्क** नहीं।

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 1, स. 96, मुलख़्ख़सन)

वाजिबुल वुजूद किसे कहते हैं ?

सुवाल : अभी आप ने वाजिबुल वुजूद की इस्त़िलाह़ बयान की इस के मा'ना भी बता दीजिये।

जवाब : वाजिबुल वुजूद ऐसी ज़ात को कहते हैं जिस का वुजूद (या'नी "होना") ज़रूरी और अ़दम मुह़ाल (या'नी न

होना ग़ैर मुम्किन) है या'नी (वोह ज़ात) हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जिस को कभी फ़ना नहीं, किसी ने उस को पैदा नहीं किया बल्कि उसी ने सब को पैदा किया है। जो खुद अपने आप से मौजूद है और येह सिर्फ़ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की ज़ात है।

(हमारा इस्लाम, हिस्सए सिवुम, स. 95)

निफ़ाक़ की ता'रीफ़

सुवाल : निफ़ाक़ की क्या ता'रीफ़ है ?

जवाब : ज़बान से इस्लाम का दा'वा करना और दिल में इस्लाम से इन्कार करना **निफ़ाक़** है। येह भी **ख़ालिस कुफ़्र** है बल्कि ऐसे लोगों के लिये जहन्नम का सब से निचला तबक़ा है। सरवरे काएनात, शहन्शाहे मौजूदात صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ज़ाहिरी हयात के ज़माने में इस सिफ़त के कुछ अफ़राद बतौरे **मुनाफ़िक़ीन** मश्हूर हुए, उन के बातिनी कुफ़्र को **क़ुरआने मजीद** में बयान किया गया है। नीज़ **सुल्ताने मदीना** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ब अताए इलाही عَزَّوَجَلَّ अपने वसीअ़ इल्म से एक एक को पहचाना और नाम ब नाम फ़रमा दिया कि येह येह **मुनाफ़िक़** हैं। अब इस ज़माने में किसी मख़्सूस शख़्स की निस्बत यक़ीन से

कहना कि वोह मुनाफ़िक़ है मुम्किन नहीं, कि हमारे सामने जो **इस्लाम** का दा'वा करे हम उसे **मुसल्मान** ही समझेंगे जब तक कि **ईमान** के मुनाफ़ी (या'नी ईमान के उलट) कोई क़ौल (बात) या फ़े'ल (काम) उस से सरज़द न हो। अलबत्ता **निफ़ाक़** या'नी मुनाफ़क़त की एक शाख़ इस ज़माने में भी पाई जाती है कि बहुत से **बद मज़्हब** अपने आप को मुसल्मान कहते हैं और देखा जाए तो इस्लाम के दा'वे के साथ साथ बहुत से **ज़रूरिय्याते दीन** का इन्कार भी करते हैं। (बहारे शरीअ़त, हि़स्सए अव्वल, स. 96, मुलख़्ख़सन)

मुरतद की ता'रीफ़

सुवाल : मुरतद किसे कहते हैं ?

जवाब : मुरतद वोह शख़्स है कि इस्लाम के बा'द किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो **ज़रूरिय्याते दीन** से हो। या'नी ज़बान से **कलिमए कुफ़्र** बके जिस में तावीले सह़ीह़ की गुन्जाइश न हो। यूंही बा'ज़ अफ़्आ़ल (काम) भी ऐसे हैं जिन से **काफ़िर** हो जाता है मसलन बुत को सज्दा करना, मुस्ह़फ़ शरीफ़ (क़ुरआने पाक) को नजासत की जगह फेंक देना।

(बहारे शरीअ़त, हि़स्सा : 9, स. 173)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : उस शख़्स की नाक ख़ाक आलूद हो जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (ترمذی)

कुफ़्र की अक़्साम और तक्फ़ीर के बारे में सुवाल जवाब

कलिमाते कुफ़्र की क़िस्में

सुवाल : कलिमाते कुफ़्र की कितनी क़िस्में हैं ?

जवाब : कलिमाते कुफ़्र की दो क़िस्में हैं (1) लुज़ूमे कुफ़्र (2) इल्तिज़ामे कुफ़्र । चुनान्चे सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیْہِ رَحمَۃُ اللہِ القَوِی फ़रमाते हैं : **अक़्वाले कुफ़्रिय्या** दो क़िस्म के हैं (1) एक वोह जिस में किसी मा'निये सह़ीह़ का भी एह़्तिमाल (या'नी पहलू) हो (2) दूसरे वोह कि उस में कोई ऐसे मा'ना नहीं बनते जो क़ाइल को कुफ़्र से बचावे । इस में अव्वल को **लुज़ूमे कुफ़्र** कहा जाता है और क़िस्मे दुवुम को **इल्तिज़ामे कुफ़्र** । लुज़ूमे कुफ़्र की सूरत में भी फ़ुक़हाए किराम (رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام) ने हुक्मे कुफ़्र दिया मगर मुतकल्लिमीन[1] (رَحِمَہُمُ اللہُ الْمُبِیْن) इस से सुकूत करते (या'नी ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाते) हैं । और फ़रमाते हैं जब तक **इल्तिज़ाम** की सूरत न हो

मदीना

(1) जो उ़लमाए किराम इ़ल्मे कलाम या'नी इ़ल्मे अ़क़ाइद के माहिर होते हैं और नक़्ली या'नी शरई दलाइल के साथ साथ अ़क़्ली दलाइल से भी अ़क़ाइद को साबित करते हैं उन्हें मुतकल्लिमीन कहा जाता है ।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तहक़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया। (ابن سنی)

क़ाइल को **काफ़िर** कहने से सुकूत किया जाएगा और अह़्वत़ (या'नी ज़ियादा मोह़तात़) येही मज़्हबे मुतकल्लिमीन (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن) है। وَاللّٰهُ اَعْلَم।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 4, स. 512, 513)

लुज़ूम व इल्तिज़ाम की तफ़्सील

सुवाल : लुज़ूमे कुफ़्र और **इल्तिज़ामे कुफ़्र** की मज़ीद तफ़्सील बयान कर दीजिये।

जवाब : लुज़ूमे कुफ़्र की ता'रीफ़ का ख़ुलासा येह है कि वोह बात ऐने कुफ़्र नहीं मगर कुफ़्र तक पहुंचाने वाली है और **इल्तिज़ामे कुफ़्र** येह है कि **ज़रूरिय्याते दीन** में से किसी चीज़ का सराह़तन (या'नी वाज़ेह़ त़ौर पर) ख़िलाफ़ करे। चुनान्चे मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن लुज़ूम व इल्तिज़ाम के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाते हैं : "**सय्यिदुल आलमीन** मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जो कुछ अपने रब (عَزَّوَجَلَّ) के पास से लाए उन सब में उन की तस्दीक़ करना और सच्चे दिल से उन की एक एक बात पर यक़ीन लाना **ईमान** है और (مَعَاذَ اللّٰه (عَزَّوَجَلَّ उन में से किसी बात का झुटलाना और उस में अदना शक

लाना **कुफ़्र** (है) । फिर येह इन्कार जिस से ख़ुदा (عَزَّوَجَلَّ) मुझे और सब मुसल्मानों को पनाह दे, दो त़रह़ होता है (1) **लुज़ूमी व** (2) **इल्तिज़ामी । इल्तिज़ामी येह कि ज़रूरिय्याते दीन से किसी शै का तस्रीह़न (या'नी साफ़ साफ़) ख़िलाफ़ करे येह क़त्अ़न इज्माअ़न कुफ़्र है** अगर्चे (ख़िलाफ़ करने वाला) नामे **कुफ़्र** से चिड़े और कमाले इस्लाम का दा'वा करे.........जैसे त़ाइफ़ए **तालिफ़ए** नयाचरह (या'नी हलाक व बरबाद होने वाले नेचरी फ़िर्क़े वालों) का, वुजूदे **मलक** व जिन्न व शैत़ान व आस्मान व नार व जिनान व मो'जिज़ाते अम्बिया عَلَیْہِمُ اَفْضَلُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام से उन मआ़नी पर कि अहले इस्लाम के नज़्दीक **हुज़ूर** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से मुतवातिर हैं इन्कार करना और अपनी तावीलाते बात़िला व तवह्हुमाते आ़त़िला (या'नी झूटी तावीलों और ख़ाली वहमों) को ले मरना । न हरगिज़ हरगिज़ इन तावीलों के शोशे इन्हें **कुफ़्र** से बचाएंगे, न मह़ब्बते इस्लाम व हमदर्दी के झूटे दा'वे काम आएंगे... और **लुज़ूमी** येह कि जो बात उस ने कही ऐन **कुफ़्र** नहीं मगर **मुन्जिर बि कुफ़्र** (या'नी कुफ़्र की त़रफ़ ले जाने वाली) होती है, या'नी मआले सुख़न

व लाज़िमे हुक्म को तरतीबे मुक़द्दमात व तत्मीमे तक़रीबात करते ले चलिये तो अन्जामे कार उस से किसी **ज़रूरिय्ये दीन** का इन्कार लाज़िम आए ।''

(फ़तावा रज़विय्या, जि. 15, स. 431)

आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के फ़तवे का आसान लफ़्ज़ों में ख़ुलासा

सुवाल : सरकारे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه के **मुबारक फ़तवे** के बयान कर्दा इक्तिबास का आसान लफ़्ज़ों में ख़ुलासा कर दीजिये ।

जवाब : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना **शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن अपने **मुबारक फ़तवे** के मज़्कूरा इक्तिबास में ईमान व कुफ़्र की ता'रीफ़ बयान करने के बा'द कुफ़्र की दो अक़्साम **लुज़ूम व इल्तिज़ाम** का ज़िक्र करते हुए फ़रमाते हैं : (1) **इल्तिज़ामे कुफ़्र** या'नी ज़रूरिय्याते दीन में से किसी एक चीज़ का भी ख़िलाफ़ करना । चाहे वोह ख़िलाफ़ करने वाला ब ज़ाहिर इस्लाम का कैसा ही शैदाई बनता हो और बेशक **कुफ़्र** के नाम से चिड़ता हो मगर उस पर हुक्मे **कुफ़्र** है और वोह इस्लाम से ख़ारिज है । जैसा कि नेचरी फ़िर्क़े वाले जो कि ब ज़ाहिर इस्लाम और मिल्लते इस्लामिया

www.dawateislami.net

की महब्बतों का ख़ूब दम भरते और बढ़ चढ़ कर अपने आप को मुसल्मानों में खपाते हैं मगर कई **ज़रूरिय्याते दीन** का ख़िलाफ़ करते हैं मसलन मलाएका, जिन्नात, शैत़ान, आस्मान, जन्नत, दोज़ख़ और मो'जिज़ाते अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के वोह मआ़नी जो कि हमारे मक्की मदनी आक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से ब तवातुर साबित हैं और सभी अहले इस्लाम का जिन पर इत्तिफ़ाक़ है उन को तस्लीम करने के बजाए उलटी सीधी तावीलों के ज़रीए अपने मन घड़त जुदागाना मा'ना बयान करते हैं। लिहाज़ा नेचरियों को उन के महब्बते इस्लाम के दा'वे हरगिज़ कुफ़्र से नहीं बचा सकते। (2) **लुज़ूमे कुफ़्र** ऐने कुफ़्र तो नहीं होता मगर कुफ़्र तक ले जाने वाला होता है। या'नी कलाम का अन्जाम और हुक्म का लाज़िम कुफ़्रे ह़क़ीक़ी है। मुराद येह कि अगर मुक़द्दमात को तरतीब दिया जाए और तक़्रीबात को मुकम्मल करते जाएं तो बिल आख़िर किसी ज़रूरिय्ये दीनी का इन्कार लाज़िम आए। इस की बहुत सी सूरतें होती हैं।

इख़्तिलाफ़ी कुफ़्र के बारे में हुक्म

सुवाल : ऐसे शख़्स के बारे में क्या हुक्म है जिस के ''क़ौल'' के कुफ़्र होने न होने में अइम्मए दीन या'नी फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन का इख़्तिलाफ़ हो।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (طبرانی)

जवाब : ऐसा शख़्स अगर्चे इस्लाम से ख़ारिज नहीं, ताहम उस के लिये **तौबा व तजदीदे ईमान व निकाह़** का हुक्म है। चुनान्चे मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना **शाह अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَیْہِ رَحمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : "फिर जब कि अइम्मए दीन (या'नी फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन) इन के **कुफ़्र** में मुख़्तलिफ़ हो गए तो राह येह है कि अगर अपना भला चाहें जल्द अज़ सरे नौ कलिमए इस्लाम पढ़ें।" चन्द सुतूर बा'द मज़ीद फ़रमाते हैं : "इस के बा'द अपनी औ़रतों से तजदीदे निकाह़ करें कि **कुफ़्रे ख़िलाफ़ी** (या'नी जिस क़ौल या फ़े'ल के कुफ़्र होने में फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन का इख़्तिलाफ़ हो उस) का हुक्म येही है।" (फ़तावा रज़विय्या, जि. 15, स. 445, 446)

कुफ़्रे लुज़ूमी में आ'माल बरबाद हो जाते हैं या नहीं ?

सुवाल : जिस के किसी क़ौल या फ़े'ल के **कुफ़्र** होने में अइम्मए दीन या'नी फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन का इख़्तिलाफ़ हो, क्या उस के भी तमाम आ'माल बरबाद हो जाते हैं ?

जवाब : नहीं। क्यूं कि येह **कुफ़्रे लुज़ूमी** है और ऐसा शख़्स इस्लाम से ख़ारिज नहीं होता, इस का निकाह़ भी नहीं टूटता इस की बैअ़त भी बर क़रार रहती है और इस के साबिक़ा आ'माल भी बरबाद नहीं होते। अलबत्ता

इस के लिये **तजदीदे ईमान व तजदीदे निकाह़** का हुक्म है। चुनान्चे मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحمَۃُ الرَّحْمٰن नक़्ल करते हैं : **अ़ल्लामा ह़सन बिन अ़म्मार शुरुम्बुलाली** (عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْوَالِی) **शर्ह़े वह्बानिया** में फिर **अ़ल्लामा अ़लाई** (عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْبَاقِی) **शर्ह़े तन्वीर** में फ़रमाते हैं : "जो मुत्तफ़िक़ा कुफ़्र हो वोह आ'माले सालिह़ा और निकाह़ को बात़िल कर देता है और उस की औलाद औलादे ज़िना होगी। और जिस (क़ौल या फ़े'ल के कुफ़्र होने) में ख़िलाफ़ (या'नी इख़्तिलाफ़) हो तो उसे **इस्तिग़फ़ार, तौबा** और **तजदीदे** (ईमान व) **निकाह़** का हुक्म दिया जाएगा।" (फ़तावा रज़विय्या, जि. 15, स. 446)

क्या क़त़ई कुफ़्र में भी इख़्तिलाफ़ हो सकता है ?

सुवाल : अगर **कुफ़्रे क़त़ई** हो (मसलन क़ादियानी का कुफ़्र) और कोई मुफ़्ती उस में इख़्तिलाफ़ करे तो क्या हुक्म है ?

जवाब : वोह "मुफ़्ती" ही नहीं जो **क़त़ई कुफ़्र** में इख़्तिलाफ़ करे बल्कि अ़वाम के साथ साथ ऐसे मुफ़्ती का हुक्म भी **फुक़हाए किराम** رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام के नज़्दीक येह है : **مَنْ شَكَّ فِيْ عَذَابِهٖ وَ كُفْرِهٖ فَقَدْ كَفَرَ** या'नी जो उस (क़त़ई कुफ़्र बकने वाले काफ़िर) के अ़ज़ाब और कुफ़्र में शक करे वोह ख़ुद **काफ़िर** है। (دُرِّمُختار ج٦ ص٣٥٦)

www.dawateislami.net

मुसल्मान को काफ़िर कहना कैसा ?

सुवाल : किसी सुन्नी सह़ीहुल अ़क़ीदा मुसल्मान को **काफ़िर** कहना कैसा है ?

जवाब : सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : "किसी मुसल्मान को **काफ़िर** कहा तो ता'ज़ीर (या'नी सज़ा) है । रहा येह कि वोह क़ाइल (या'नी मुसल्मान को काफ़िर कहने वाला) ख़ुद **काफ़िर** होगा या नहीं, इस में दो **सूरतें** हैं : ﴿1﴾ अगर इसे मुसल्मान जानता है तो **काफ़िर** न हुवा और ﴿2﴾ अगर इसे **काफ़िर** ए'तिक़ाद करता है (या'नी येह अ़क़ीदा रखता है कि येह काफ़िर है) तो ख़ुद **काफ़िर** है कि मुसल्मान को **काफ़िर** जानना दीने इस्लाम को **कुफ़्र** जानना है और दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना **कुफ़्र** है । हां अगर उस शख़्स में कोई ऐसी बात पाई जाती है जिस की बिना पर तक्फ़ीर हो सके और उस ने उसे **काफ़िर** कहा और **काफ़िर** जाना तो (कहने वाला) **काफ़िर** न होगा ।" (دُرِّمُختار، رَدُّالْمُحتار ج ٦ ص ١١١) नीज़ फ़रमाया : (मुसल्मान को बत़ौरे गाली) बद मज़्हब, मुनाफ़िक़, ज़िन्दीक़, यहूदी, नसरानी, नसरानी का बच्चा, काफ़िर

का बच्चा कहने पर भी ता'ज़ीर (सज़ा) है ।" (बहारे शरीअ़त, हि़स्सा : 9, स. 126, 127, (دُرِّمُختار ج ٦ ص ١١٢، اَلْبَحْرُ الرَّائِق ج ٥ ص ٧٤) अलबत्ता जो वाक़ेई **काफ़िर** है उस को **काफ़िर** ही कहेंगे।

दूसरे के बारे में काफ़िर होने की आरज़ू

सुवाल : ज़ैद ने बक्र से कहा : "काश ! तू सिख होता कि कम अज़ कम तेरे चेहरे पर दाढ़ी तो होती।" ज़ैद के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : ज़ैदे बे क़ैद के इस क़ौले बदतर अज़ बौल में **कुफ़्र** पर राज़ी रहना पाया जा रहा है येह कहना कुफ़्र है। ह़ज़रते अ़ल्लामा **अ़ली क़ारी** عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْبَارِی नक़्ल करते हैं : "सय्यिदुना **इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से मरवी है : किसी के **कुफ़्र** पर राज़ी होना बिग़ैर किसी तफ़्सील के **कुफ़्र** है।"

(منح الروض للقاری ص٤٨٤،٤٨٥)

बे ख़याली में कुफ़्र बक देना

सुवाल : अगर किसी के मुंह से बे ख़याली में कुफ़्र निकल गया मसलन कहना चाहता था, "**अल्लाह** मालिक है" मगर مَعَاذَاللّٰہ मुंह से निकला, "**अल्लाह** मालिक नहीं" क्या इस सूरत में भी **काफ़िर** हो जाएगा ?

www.dawateislami.net

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم : जो लोग अपनी मजलिस से **अल्लाह** के ज़िक्र और नबी पर दुरूद शरीफ़ पढ़े बिग़ैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे। (شعب الايمان)

जवाब : क़ाइल का क़ौल तो यक़ीनन **कुफ़्र** है मगर उस की **तक्फ़ीर** नहीं की जाएगी कि बे ख़याली में येह कलिमा सादिर हुवा। सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : "कहना कुछ चाहता था और ज़बान से कुफ़्र की बात निकल गई तो **काफ़िर** न हुवा या'नी जब कि इस अम्र से इज़्हारे नफ़्रत करे कि सुनने वालों को भी मा'लूम हो जाए कि ग़लती से येह लफ़्ज़ निकला है और अगर बात की पच की (या'नी जो कुछ मुंह से निकला उस पर अड़ा रहा) तो अब **काफ़िर** हो गया कि **कुफ़्र** की ताईद करता है।"

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 9, स. 174)

ना बालिग़ का कुफ़्र बकना

सुवाल : अगर कोई ना बालिग़ बच्चा कलिमए कुफ़्र बक दे तो क्या उस पर भी हुक्मे **कुफ़्र** लागू हो जाता है ? अगर हां तो फिर जब बालिग़ होने के बा'द उस को पता चले कि मैं ने ना बालिग़ी में **कुफ़्र** बका था और जो **कुफ़्र** बका था कुछ कुछ याद है सह़ीह़ त़रह़ याद भी नहीं तो अब किस त़रह़ **तौबा** करे ?

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर रोजे़ जुमुआ़ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआ़फ़ होंगे । (جمع الجوامع)

जवाब : ना बालिग़ समझदार का **कुफ़्र व इस्लाम** मो'तबर है । मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : "समझदार बच्चा अगर **इस्लाम** के बा'द **कुफ़्र** करे तो हमारे नज़्दीक वोह **मुरतद** होगा ।" (माख़ूज़ अज़ फ़तावा अफ़्रीक़ा, स. 16) मा'लूम हुवा **बालिग़** या **समझदार ना बालिग़ कुफ़्र करे तो मुरतद** हो जाएगा । अगर बालिग़ होने के बा'द एह़सास हुवा और अगर **कुफ़्रिय्या** क़ौल याद है तो ख़ास उस से तौबा करे और अगर शक है या याद नहीं तो उस **मश्कूक कुफ़्रिय्या** कलिमा समेत हर क़िस्म के कुफ़्र से तौबा करे । या'नी इस त़रह़ कहे : "मैं तमाम **कुफ़्रिय्यात** से तौबा करता हूं ।" फिर कलिमा पढ़ ले ।

ना बालिग़ बच्चे के मुसल्मान होने का मस्अला

सुवाल : वालिदैन में एक काफ़िर है और दूसरा मुसल्मान । इस सूरत में बच्चों को मुसल्मान शुमार करेंगे या काफ़िर ?

जवाब : ना बालिग़ मगर समझदार बच्चे के मुसल्मान या काफ़िर होने में ख़ुद उसी बच्चे का ए'तिबार है अलबत्ता ना समझ बच्चे में तफ़्सील येह है कि काफ़िर मियां

बीवी में से अगर कोई एक मुसल्मान हो गया तो उन के ना बालिग़ ना समझ बच्चे मुसल्मान होने वाले के ताबेअ़ होंगे या'नी मुसल्मान माने जाएंगे लिहाज़ा **काफ़िर** बाप ज़िन्दा हो या मर गया हो, मां के क़बूले इस्लाम से ना समझ ना बालिग़ बच्चे ख़ुद ब ख़ुद मुसल्मान हो गए। जैसा कि मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَیْہِ رَحمَۃُ الرَّحْمٰن **फ़तावा रज़विय्या** जिल्द 26 सफ़ह़ा 327 पर फ़रमाते हैं : **"मां के मुसल्मान होने से दोनों ना बालिग़ बच्चे मुसल्मान हो गए।"** हिदाया व दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा में है : (फ़ुक़हाए किराम رَحِمَھُمُ اللّٰہُ السَّلَام फ़रमाते हैं :) बच्चा वालिदैन में बेहतर दीन वाले के ताबेअ़ होता है। (تَنْوِیرُ الْاَبْصَار ج٤ ص ٣٦٧)

ना बालिग़ का कुफ़्र किस उ़म्र में मो'तबर है ?

सुवाल : ना बालिग़ बच्चे का **कुफ़्र** किस उ़म्र में मो'तबर है ?

जवाब : सात बरस या ज़ियादा उ़म्र का बच्चा जो कि अच्छे बुरे की तमीज़ रखता हो वोह अगर **कुफ़्र** करेगा तो **काफ़िर** हो जाएगा क्यूं कि उस का **कुफ़्र व इस्लाम** मो'तबर है।

(मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 14, स. 242)

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़्फ़िरत है। (ابن عساکر)

काफ़िर को काफ़िर कहना ज़रूरी है

सुवाल : काफ़िर को काफ़िर कहना जाइज़ है या ना जाइज़ ?

जवाब : काफ़िर को काफ़िर कहना न सिर्फ़ जाइज़ बल्कि बा'ज़ सूरतों में फ़र्ज़ है। सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه लिखते हैं : "एक येह वबा भी फैली हुई है कहते हैं कि हम तो **काफ़िर** को भी **काफ़िर** न कहेंगे कि हमें क्या मा'लूम कि उस का ख़ातिमा कुफ़्र पर होगा।" येह भी ग़लत़ है। क़ुरआने अ़ज़ीम ने **काफ़िर** को **काफ़िर** कहा और **काफ़िर** कहने का हुक्म दिया। (चुनान्चे इर्शाद होता है :)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ(۱) (پ ۳۰ الکافرون ۱)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम फ़रमाओ ऐ काफ़िरो !

और अगर ऐसा है तो **मुसल्मान** को भी मुसल्मान न कहो, तुम्हें क्या मा'लूम कि इस्लाम पर मरेगा, ख़ातिमे का ह़ाल तो **ख़ुदा** (عَزَّوَجَلَّ) जाने। आगे चल कर मज़ीद फ़रमाते हैं : बा'ज़ **जाहिल** येह कहते हैं कि "हम किसी को **काफ़िर** नहीं कहते आ़लिम लोग जानें वोह **काफ़िर** कहें।" मगर क्या येह लोग नहीं जानते कि

अ़वाम के तो वोही अ़क़ाइद होंगे जो क़ुरआनो ह़दीस वग़ैरहुमा से उ़लमा ने उन्हें बताए या अ़वाम के लिये कोई शरीअ़त जुदागाना है ? जब ऐसा नहीं तो फिर आ़लिमे दीन के बताए पर क्यूं नहीं चलते ! नीज़ येह कि **ज़रूरिय्याते** (दीन) का इन्कार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उ़लमा ही जानें। अ़वाम जो उ़लमा की सोह़बत से मुशर्रफ़ होते रहते हैं वोह भी उन से बे ख़बर नहीं होते। फिर ऐसे मुआ़मले में पहलू तही और ए'राज़ (या'नी मुंह फैरने) के क्या मा'ना !

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 9, स. 173, 174)

क़त़ई काफ़िर के कुफ़्र में शक करने वाला भी काफ़िर हो जाता है

मज़ीद **बहारे शरीअ़त** ह़िस्सए अव्वल में है : **"मुसल्मान को मुसल्मान, काफ़िर को काफ़िर जानना ज़रूरिय्याते दीन से है......** क़त़ई काफ़िर के कुफ़्र में शक भी आदमी को **काफ़िर** बना देता है...... इस ज़माने में बा'ज़ लोग येह कहते हैं कि मियां ! जितनी देर उसे **काफ़िर** कहोगे उतनी देर **अल्लाह अल्लाह** करो येह सवाब की बात है। इस का जवाब येह है कि हम कब कहते हैं कि **काफ़िर**

काफ़िर का वज़ीफ़ा कर लो ! मक़्सूद येह है कि उसे **काफ़िर** जानो और पूछा जाए तो क़त्अन (या'नी यक़ीनी तौर पर) **काफ़िर** कहो, न येह कि अपनी सुल्हे कुल से उस के **कुफ़्र** पर पर्दा डालो।"

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, हिस्सा : 1, स. 98)

क्या आ़म आदमी हुक्मे कुफ़्र लगा सकता है ?

सुवाल : घर के फ़र्द या दोस्त वग़ैरा की कोई बात सुन या देख कर क्या आ़म आदमी भी उस को **काफ़िर** कह सकता है ?

जवाब : जब किसी बात के **कुफ़्र** होने के बारे में यक़ीनी तौर पर मा'लूम हो मसलन किसी मुफ़्ती साहिब ने बताया हो या किसी मो'तबर किताब मसलन **बहारे शरीअ़त** या **फ़तावा रज़विय्या शरीफ़** वग़ैरा में पढ़ा हो तब तो उस कुफ़्री बात को कुफ़्र ही समझे वरना सिर्फ़ अपनी अट्कल से हरगिज़ हरगिज़ हरगिज़ किसी मुसल्मान को **काफ़िर** न कहे। क्यूं कि कई जुम्ले ऐसे होते हैं जिन के बा'ज़ पहलू **कुफ़्र** की त़रफ़ जा रहे होते हैं और बा'ज़ इस्लाम की त़रफ़ और कहने वाले की निय्यत का भी मा'लूम नहीं होता कि उस ने कौन सा पहलू मुराद लिया है। मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे

अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : हमारे अइम्मा رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ने हुक्म दिया है कि अगर किसी कलाम में 99 एह़तिमाल कुफ़्र के हों और एक इस्लाम का तो वाजिब है कि एह़तिमाले इस्लाम पर कलाम मह़मूल किया जाए जब तक उस का ख़िलाफ़ साबित न हो। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 14, स. 604, 605)

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : किसी कलाम में चन्द मा'ने बनते हैं बा'ज़ कुफ़्र की त़रफ़ जाते हैं बा'ज़ इस्लाम की त़रफ़ तो उस शख़्स की तक्फ़ीर नहीं की जाएगी हां अगर मा'लूम हो कि क़ाइल (कहने वाले) ने मा'निये कुफ़्र का इरादा किया मसलन वोह ख़ुद कहता है कि मेरी मुराद येही (कुफ़्रिय्या मा'ना वाली) है तो (अब) कलाम का मोहूतमल होना (या'नी कलाम में तावील का पाया जाना) नफ़्अ़ न देगा। यहां से मा'लूम हुवा कि कलिमे के **कुफ़्र** होने से क़ाइल का **काफ़िर** होना ज़रूर नहीं।

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 9, स. 173)

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह उस पर दस रह़मतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (ترمذی)

बिग़ैर इ़ल्म के फ़तवा देना कैसा ?

सुवाल : जो मुफ़्ती न होने के बा वुजूद बिग़ैर इ़ल्म के फ़तवा दे उस के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब : ऐसा शख़्स सख़्त गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार है। सरकारे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने बा क़रीना है : "जिस ने बिग़ैर इ़ल्म के फ़तवा दिया तो आस्मानो ज़मीन के फ़िरिश्ते उस पर ला'नत भेजते हैं।" (اَلْجامِعُ الصَّغیر ص۵۱۷ حدیث۸۴۹۱)

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना **शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَیْہِ رَحمَۃُ الرَّحْمٰن **फ़तावा रज़विय्या** जिल्द 23 सफ़ह़ा 716 पर फ़रमाते हैं : सनद ह़ासिल करना तो कुछ ज़रूर नहीं, हां बा क़ाइदा ता'लीम पाना ज़रूर है (ता'लीम ख़्वाह) मद्रसे में हो या किसी आ़लिम के मकान पर। और जिस ने बे क़ाइदा ता'लीम पाई वोह जाहिले मह़ज़ से बदतर, "नीम मुल्ला ख़त़रए ईमान" होगा। ऐसे शख़्स को **फ़तवा नवीसी** पर जुरअत **ह़राम** है। और अगर **फ़तवा** से अगर्चे सह़ीह़ हो, (मगर) वज्हुल्लाह मक़्सूद नहीं (या'नी दुरुस्त फ़तवा हो तब भी अगर **अल्लाह** की रिज़ा मत़्लूब नहीं) बल्कि अपना कोई दुन्यावी

www.dawateislami.net

नफ़्अ़ मन्ज़ूर है तो येह दूसरा सबबे ला'नत है कि आयातुल्लाह के इ़वज़ समने क़लील (या'नी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की आयतों के बदले थोड़ा भाव) ह़ासिल करने पर फ़रमाया गया :

اُولٰٓىٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ وَ لَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا یَنْظُرُ اِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ لَا یُزَكِّیْهِمْ۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ(۷۷)

(پ۳ اٰل عمران ۷۷)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : आख़िरत में उन का कुछ ह़िस्सा नहीं, और **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) न उन से बात करे न उन की त़रफ़ नज़र फ़रमाए क़ियामत के दिन, और न उन्हें पाक करे और उन के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।

ग़लत़ मस्अला बताना सख़्त कबीरा गुनाह है

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना **शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن **फ़तावा रज़विय्या** जिल्द 23 सफ़्ह़ा 711 ता 712 पर फ़रमाते हैं : झूटा मस्अला बयान करना सख़्त शदीद कबीरा (गुनाह) है अगर क़स्दन है तो शरीअ़त पर इफ़्तिरा (या'नी झूट बांधना) है और शरीअ़त पर इफ़्तिरा **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ पर इफ़्तिरा है, और **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ

फ़रमाता है :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾
(پ ١١ يونس ٦٩)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) पर झूट बांधते हैं उन का भला न होगा।

अगर आ़लिम भूल कर ग़लत़ मस्अला बता दे तो गुनाह नहीं

और अगर बे इ़ल्मी से है तो जाहिल पर **सख़्त ह़राम** है कि फ़तवा दे। हां अगर आ़लिम से इत्तिफ़ाक़न सह्व (भूल) वाक़ेअ़ हुवा और उस ने अपनी त़रफ़ से बे एह़तियात़ी न की और ग़लत़ जवाब सादिर हुवा तो मुआख़ज़ा नहीं मगर फ़र्ज़ है कि मुत्तलअ़ होते ही फ़ौरन अपनी ख़त़ा ज़ाहिर करे, इस पर इस्रार करे तो पहली शिक़ या'नी इफ़्तिरा (झूट बांधना) में आ जाएगा। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم।

(फ़तावा रज़विय्या, जि. 23, स. 711, 712)

जाहिल से मस्अला पूछना कैसा ?

सुवाल : जान बूझ कर किसी जाहिल से मस्अला पूछना कैसा ?

जवाब : गुनाह है। ताजदारे रिसालत, मह़बूबे रब्बुल इ़ज़्ज़त

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (جمع الجوامع)

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने सरापा इ़ब्रत है : مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ या'नी "जिसे बिग़ैर इ़ल्म के फ़तवा दिया गया तो उस का गुनाह फ़तवा देने वाले पर है।" (سُنَنُ اَبِی دَاوٗد ج٣ ص٤٤٩ حديث ٣٦٥٧)

मुफ़स्सिरे शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : "इस के दो मत़लब हो सकते हैं, **एक** येह कि जो शख़्स उ़लमा को छोड़ कर जाहिलों से मस्अला पूछे और वोह ग़लत़ मस्अला बताएं तो (बताने वाला तो गुनहगार है ही) पूछने वाला भी **गुनाहगार** होगा कि येह **आ़लिम** को छोड़ कर उस के पास क्यूं गया, न येह पूछता न वोह ग़लत़ बताता। **दूसरे** येह कि जिस शख़्स को **ग़लत़ फ़तवा** दिया गया तो इस का **गुनाह** फ़तवा देने वाले पर है। ख़ुलासा येह है कि बे इ़ल्म का मस्अलए शरई़ बयान करना सख़्त **जुर्म** है।"

(मिरआतुल मनाजीह़, जि. 1, स. 212)

मुरतद के बारे में सुवाल जवाब

मुरतद किसे कहते हैं ?

सुवाल : मुरतद किसे कहते हैं ?

जवाब : मुरतद वोह शख़्स है कि इस्लाम के बा'द किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो **ज़रूरिय्याते दीन** से हो या'नी ज़बान से (ऐसा) **कलिमए कुफ़्र** बके जिस में तावीले सह़ीह़ की गुन्जाइश न हो । यूंही बा'ज़ अफ़्आ़ल भी ऐसे होते हैं जिन से **काफ़िर** हो जाता है मसलन बुत को सज्दा करना । मुस्ह़फ़ शरीफ़ (कुरआने पाक) को नजासत की जगह फेंक देना ।

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 9, स. 173)

मुरतद की दुन्या में सज़ा

सुवाल : क्या **मुरतद** की दुन्या में भी कोई सज़ा है ?

जवाब : जी हां । दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ़ 182 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, "**बहारे शरीअ़त**" ह़िस्सा 9 सफ़ह़ा 174 ता 175 पर सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ القَوِى फ़रमाते हैं : जो शख़्स **مَعَاذَ الله** عَزَّوَجَلَّ **मुरतद** हो गया तो मुस्तह़ब है कि **ह़ाकिमे इस्लाम** उस पर इस्लाम पेश करे और अगर वोह कुछ शुबा बयान

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है **अल्लाह** उस के लिये एक क़ीरात़ अज्र लिखता है और क़ीरात़ उहुद पहाड़ जितना है। (عبدالرزاق)

करे तो उस का जवाब दे और अगर मोहलत मांगे तो तीन दिन क़ैद में रखे और हर रोज़ इस्लाम की तल्क़ीन करे। यूंही अगर उस ने मोहलत न मांगी मगर उम्मीद है कि इस्लाम क़बूल कर लेगा जब भी तीन दिन क़ैद में रखा जाए। फिर अगर मुसल्मान हो जाए फ़बिहा (या'नी बहुत बेहतर) वरना **क़त्ल** कर दिया जाए। बिग़ैर इस्लाम पेश किये उसे **क़त्ल** कर डालना मक्रूह है। (دُرِّمُختار ج٦ ص ٣٤٦-٣٤٩)

الله
صلوا على الحبيب ! صلى الله تعالى على محمد

बेबाकी के साथ गुनाह किये जाने वाले का **अल्लाह** तआ़ला की रह़मत से ज़रूर बख़्शे जाने का ज़ेह्न बना लेना धोका है।

अल मदीना
अल मक्का
अल बक़ीअ़

8 रबीउ़ल ग़ौस 1437 हि.
अल मौत

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

बच्चों को अच्छा अदब सिखाओ

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : अपनी औलाद के साथ हुस्ने सुलूक करो और उन्हें अच्छा अदब सिखाओ.

(ابن ماجہ، ۳/۱۸۹، حدیث: ۳۶۷۱)

M.R.P. ₹ 00/-

DAWAT-E-ISLAMI

Maktabatul Madina

Mohammad Ali Road, Mandvi Post Office, Mumbai 9022177997, 9320558372

Faizane Madina, Teen koniya Baghicha, Mirzapur, Ahmedabad 9327168200

421, Urdu Market, Matia Mahal, Near: Noor Guest House, Jama Masjid, Delhi

011-23284560, 8178862570 For Home Delivery: 9978626025 *T&C Apply

feedbackmmhind@gmail.com www.dawateislamihind.net